न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 14 / 2021

डा. रामकिशन पोहिया 152, दीनदयाल नगर ,आर0बी0एम0 अस्पताल के पीछे भरतपुर।

बनाम

अति0 जिला कलक्टर (शहर) एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग,कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 23.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि डा. रामकिशन पोहिया 152, दीनदयाल नगर ,आर0बी0एम0 अस्पताल के पीछे भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.01.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 134 दिनांक 10.02.2021 से अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से उनके पत्रांक 175 दिनांक 11.02.2021 से जबाब प्राप्तं हुआ, जो संलग्न पत्रावली है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भरतपुर (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर) से वांछित सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 02 व 03 की सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 149 दिनांक 09.02.2021 से भिजवादी गई हैं । बिन्दु सं. 01 का [illegible] होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र क्रमांक 151 दिनांक 09.02.2021 [illegible] धारा 6(3) में प्रभारी अधिकारी आवक–जावक अनुभाग कलक्ट्रेट भर[illegible] हेतु अन्तरित किया गया है। इस प्रकार प्रभारी अधिकारी न्या[illegible] भरतपुर द्वारा अपीला[illegible] द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना उपलब्ध करादी ग[illegible]। बिन्दु सं.01 की सू[illegible]तु प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपने पत्रांक 151 दिनांक [illegible].02.2021 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

भारी अधिकारी आवक–जावक अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को यह भी निर्देशित किया गया है कि वांछित सूचनाऐं प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध कराते हुए पालना से उन्हें भी सूचित किया जावे, किन्तु सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने सम्बन्धी रिपोर्ट न तो प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को भेजी गई है और न इस कार्यालय को प्रेषित की गई है । जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

प्रभारी अधिकारी आवक–जावक अनुभाग अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग/ आवक–जावक अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी भेजी जावे ।

नोट:- प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग से प्राप्त पत्रादि के साथ अपीलान्ट को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:20:54 IST
Reason: SelfAttested